राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक प.4(6)कार्मिक/क-3/78 जयपुर फरवरी 3-3 2001

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष

परिपत्र

विषयः सेवानिवृत व सेवानिवृत होने वाले राजसेवकों के विरुद्ध अविलम्ब अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित करने तथा विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अविलम्ब तथा प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। परिपत्र दिनांक 30-4-99 तथा 16-6-2000 में विस्तृत रुप से दिशा-निर्देश दिये गये हैं। राज्य सरकार के ध्यान में इस प्रकार के मामले आये हैं जिनमें कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही नहीं की गई है तथा सेवानिवृत व सेवानिवृत होने वाले राजसेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही यथासमय प्रस्तावित नहीं करने के कारण आरोप पत्र जारी नहीं किये जा सके। इस प्रकार के प्रकरणों में विलम्ब के कारण अनावश्यक रुप से जटिलताएं पैदा होती है तथा कुछ मामलों में तो जांच कार्यवाही ही सम्भव नहीं हो पाती है। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में हुए विलम्ब को गम्भीरता से लिया है।

राजसेवकों के सेवानिवृत्त हो जाने की स्थिति में उसके विरुद्ध किसी वित्तीय हानि व गम्भीर दुराचरण एवं लापरवाही के मामलों में कार्यवाही करने के संबंध में आपका ध्यान राजस्थान सिविल सेवा (पैंशन) नियम 1996 के नियम 7 (2) (ख) (ii) की ओर आकर्षित किया जाता है जो निम्न प्रकार है:

"7 (2)(ख) यदि विभागीय कार्यवाही, जब सरकारी कर्मचारी उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व या उसके पुनर्नियोजन के दौरान सेवा में था, संस्थित नहीं की गयी हो, तो वह -

(ii) ऐसी किसी घटना के संबंध में नहीं होगी जो उस कार्यवाही को करने से चार से अधिक वर्ष पहले हुई हो।"

इस प्रकार नियमों की उपरोक्त स्थिति के अनुसार यदि जांच प्रारम्भ करते समय घटना को घटित हुए 4 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ हो तो महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करके तत्काल जांच कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किये जाने चाहियें क्योंकि ऐसे प्रकरणों में निर्धारित 4 वर्ष की अवधि में ही आरोप पत्र प्रसारित किया जाना आवश्यक होता है। कुछ प्रकरणों में देखने में आया है कि घटनाक्रम से उक्त 4 वर्ष की अवधि के अंदर अंदर जांच कार्यवाही नहीं की जाती है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना जरुरी है कि ऐसे मामलों में जांच कार्यवाही का प्रस्ताव भेजने में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं हो।

सेवानिवृत होने वाले राजकर्मियों के संबंध में उक्त पैंशन नियम 1996 के नियम 78 तथा उसके नीचे उद्धत राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार प्रतिवर्ष 1 जनवरी व 1 जुलाई को आगामी एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर पैंशन के लिये संबंधित विभाग को सूचित करते हुए प्रकरण निदेशक पैंशन विभाग को भेजा जाना होता है जिसमें यदि कोई जांच विचाराधीन है तो उसका भी उल्लेखित करना आवश्यक होता है। इसी कम में नियमों की उक्त स्थिति के सन्दर्भ में सेवानिवृत्ति के प्रसारित आदेश में यह भी निर्देश

आवश्यक रुप से अंकित करना सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित प्राधिकारी को आगामी वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले राजसेवकों के विरुद्ध लम्बित प्राथमिक जांच तथा अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव, सम्पूर्ण सूचनाएं अभिलेख एकत्रित कर, संबंधित राजसेवक को कम से कम 9 माह पूर्व आरोप पत्रादि को अंतिम रुप देकर प्रसारित करवा देना चाहिये। अतः पेंशन के प्रकरण तैयार करने हेतु आगामी । वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों की सूची बनाने के साथ साथ यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि कोई विभागीय जांच/ प्राथमिक जांच के प्रस्ताव लम्बित तो नहीं है जिसमें आरोप पत्रादि जारी किये जाने हैं। इन प्रस्तावों को तत्काल अंतिम रुप देकर उसी समय आरोप पत्रादि कार्मिक विभाग को भेजे जाने की कार्यवाही की जाय। राज्य सरकार इस स्थिति को भी गम्भीर मानती है कि यथा समय कार्यवाही न कर सेवानिवृत्ति से कुछ समय पूर्व अथवा सेवानिवृत्ति के दिन ही आरोप पत्र प्रसारित करने की कार्यवाही की जाती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण भी आये हैं जिनमें पूर्वकाल की घटना के लिये विभागीय जांच कार्यवाही अनेक वर्षों के उपरांत प्रस्तावित की जाती है जबकि घटना को घटित हुए 10-12 वर्ष और उससे भी अधिक समय हो गया होता है। वर्तमान में न्यायालयों का रुख इस बिन्दू के प्रति अति कठोर है और विलम्ब से विभागीय जांच कार्यवाहियां प्रस्तावित करने के लिये यदि न्यायोचित एवं संतोषप्रद कारण उपलब्ध नहीं है तो सम्पूर्ण विभागीय जांच कार्यवाही को इसी आधार पर न्यायालय निरस्त करते रहे हैं। अतः प्रथमतः अनियमितताओं की जैसे ही सूचना प्राप्त हो, बिना किसी विलम्ब के अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। द्वितीय, जिन प्रकरणों में विलम्ब से कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है उनके संदर्भ में न्यायोचित एवं संतोषप्रद कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

अतः समस्त संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत होने वाले राजसेवकों के विरुद्ध उनके द्वारा कारित अनियमितताएं एवं दुराचरण इत्यादि के लिये उनकी सेवानिवृति के 9 माह पूर्व तथा सेवानिवृत राजसेवकों के मामलों में घटनाक्रम से उक्तानुसार 4 वर्ष की निर्धारित अवधि के अंदर अंदर ही प्राथमिक जांच कार्यवाहियां सम्पादित करवाकर विभागीय जांच कार्यवाही आवश्यक रुप से प्रारम्भ करवा देनी चाहिये। जो अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त अथवा सेवानिवृत होने वाले दोषी राजसेवकों के विरुद्ध यथासमय प्रारम्भिक जांच कार्यवाही प्रारम्भ करके अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं करते हैं, उन अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही करके उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावे एवं उनके विरुद्ध भी नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

कृपया अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों में कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।

28/02/2001

(अशोक सम्पतराम)
शासन सचिव